भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 448

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रति बूंद अधिक फसल

448. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2015-16 से सभी राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)' के अंतर्गत हेक्टेयर और प्रतिशत-वार क्षेत्र कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कृषि में जल उत्पादकता में सुधार लाने और इस प्रकार संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में केंद्रीय प्रायोजित योजना "प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)" का क्रियान्वयन किया। वर्ष 2022-23 से, यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाए जाने पर केंद्रित है।

इस योजना के अंतर्गत, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा अन्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए क्रमशः इकाई लागत का 55% और 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन/टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। लाभार्थी 7 वर्ष की अवधि के बाद उसी भूमि के लिए पुनः सब्सिडी के लिए पात्र होता है।

(ख): वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 तक (आज तक की स्थिति के अनुसार) पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 102.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। राज्य-वार विवरण और कवरेज का प्रतिशत **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने प्रभावी लागत, स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों जैसे वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण, जल का मल्टीपल यूज़, वर्षा, भूतल और भूजल संसाधनों का संयुक्त उपयोग, स्मार्ट और सटीक प्रौद्योगिकियां आदि विकसित की हैं। इसके अतिरिक्त, सिंचाई जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम ने जल उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त फसल प्रकारों और फसल प्रणालियों, जल हानि कम करने, सूक्ष्म सिंचाई, उपयुक्त सिंचाई कार्यक्रमों के अलावा स्थान-विशिष्ट आवश्यक पोषक तत्व और कृषि प्रबंधन पद्धितयों के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। किसानों और अन्य हितधारकों को जागरूक करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को केवीके, प्रशिक्षण, सार्वजनिक अभियानों, मीडिया के उपयोग आदि के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। आईसीएआर द्वारा विकसित जल-कुशल फसल किस्मों का विवरण निम्नलिखित है:

i) 328 सूखा सहिष्णु/कम पानी की आवश्यकता वाली या कम वर्षा की आवश्यकता वाली किस्में जारी करके अधिसूचित की गई हैं, जिनमें से 195 अनाज की; 25 तिलहन की; 43 दलहन की; 14 रेशे वाली फसलें; 16 चारा फसलें; 33 गन्ने की और 2 अन्य फसलों की हैं, जिनमें कलिंगडा और अनाज अमरंथस प्रत्येक की 1 किस्म शामिल है।

ii) विकसित और अधिसूचित 3053 क्षेत्र फसल किस्मों में से 1064 वर्षा सिंचित किस्में हैं, जिनमें अनाज की 391, रेशेदार फसलों की 162, चारा की 69, तिलहन की 219, संभावित फसलों (अन्य फसलों) की 16 किस्में शामिल हैं, जिनमें अनाज अमरंथ की 6, तंबाकू की 5, कलिंगाडा की 2, बकव्हीट, असालियो और विंग्ड बीन की एक-एक किस्म, दलहन की 203 और गन्ने की 4 किस्में शामिल हैं।

अनुबंध

दिनांक 22/07/2025 को उतरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 448 का अनुबंध

वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया राज्य-वार क्षेत्र और प्रतिशत का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र लाख हेक्टेयर में [वर्ष 2015-16 से 2025-26 (आज तक की स्थिति के अनुसार)]	देश में कुल कवरेज का % [2015-16 से 2025-26 (आज तक की स्थिति के अनुसार)]
1	आंध्र प्रदेश	10.552	10.29
2	बिहार	0.355	0.35
3	छत्तीसगढ़	1.755	1.71
4	गोवा	0.011	0.01
5	गुजरात	12.636	12.32
6	हरियाणा	2.053	2.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.112	0.11
8	झारखंड	0.459	0.45
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.014	0.01
10	कर्नाटक	23.182	22.60
11	केरल	0.063	0.06
12	मध्य प्रदेश	4.365	4.26
13	महाराष्ट्र	11.251	10.97
14	ओडिशा	1.500	1.46
15	पंजाब	0.195	0.19
16	राजस्थान	9.559	9.32
17	तमिलनाडु	12.643	12.33
18	तेलंगाना	3.731	3.64
19	उत्तराखंड	0.352	0.34
20	उत्तर प्रदेश	4.955	4.83
21	पश्चिम बंगाल	1.240	1.21
22	अरुणाचल प्रदेश	0.173	0.17
23	असम	0.584	0.57
24	मणिपुर	0.172	0.17
25	मेघालय	0.019	0.02
26	मिजोरम	0.058	0.06
27	नागालैंड	0.319	0.31
28	सिक्किम	0.198	0.19
29	त्रिपुरा	0.052	0.05
30	लद्दाख	0.00029	0.0003
	कुल	102.56	

*****